

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**  
(सामान्य शाखा)

**विज्ञापन संख्या-01/2022**

**आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 30/09/2022**

**पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन।**

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के द्वारा याचिका W.P.(S)960/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम- झारखण्ड राज्य में दिनांक 23/07/2018 को पारित आदेश, W.P.(S)3040/2020 में दिनांक 19/01/2021 को पारित आदेश एवं W.P.(S)2302/2020 में दिनांक 23/11/2020 को पारित आदेश तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-2032, दिनांक 07/04/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली, विभागीय अधिसूचना संख्या-4998, दिनांक 19/09/2019 एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पत्र संख्या-अ0स0प0 संख्या-17/ कोर्ट केस-10/2019 522, दिनांक 29/01/2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नाम : चौकीदार  
रिक्त पदों की संख्या : 284

कोटि	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	कुल
रिक्त पद	191	63	16	0	14	284

नोट 1 : विभागीय मार्गदर्शन की प्रत्याशा में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने/अन्य न्यायालयीय/विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक/पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है।

नोट 2 : कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

नोट 3 : आरक्षण- झारखण्ड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण।

**क्षैतिज आरक्षण**

- i) पर्यटन कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक 12/09/2007 के आलोक में निर्धारित खेल कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा।
- ii) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03/04/2016 के अनुसार निःशक्त जनो हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सरकार से मार्गदर्शन की मांग की जा रही है, जिसके अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय प्रभावित होगा।
- iii) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555, दिनांक 28/06/2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।
- iv) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8281, दिनांक 03/12/2021 के आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षित होगा।

नोट 4 : **शैक्षणिक योग्यता-** चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दिनांक 01/08/2022 तक दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जायेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3842, दिनांक 10/08/2021 के आलोक में उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा, झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान शिथिल रहेगा।

## नोट 5 : उम्र सीमा

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा—18 वर्ष  
(ख) अधिकतम उम्र सीमा—  
(i) अनारक्षित – 35 वर्ष  
(ii) पिछड़/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग—37 वर्ष  
(iii) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 38 वर्ष  
(iv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति(पुरुष/महिला)— 40 वर्ष

(नोट : पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित/अच्छादित) के लिये अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिये शिथिल किया गया है।

### (आयु की गणना की तिथि—01/08/2022)

नोट 6 : अभ्यर्थियों को सम्बंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं।

नोट 7 : अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।

## नोट 8 : नियुक्ति प्रक्रिया (एक स्तरीय) :-

- (क) लिखित परीक्षा – जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी। लिखित परीक्षा में जिला से सम्बंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा (जनजातीय भाषा— मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख, क्षेत्रीय भाषा— कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया) से सम्बंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1 : 3 की संख्या में तैयार की जायेगी।  
(ख) शारीरिक माप— अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा।

	उँचाई (सामान्य)
(i) सामान्य श्रेणी	160 1s0eh0
(ii) पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	160 1s0eh0
(iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	155 से0मी0
(iv) महिलाओं के लिए	148 से0मी0

लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से सम्बंधित 50 (पचास) बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिये डेढ़ घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक कटौती नहीं की जायेगी।

(ग) शारीरिक जाँच— लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील के दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे :-

### (a) एक मील की दौड़

	समय	अंक
(i) पुरुषों के लिये	— 05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	
(ii) महिलाओं के लिये	— 08 मिनट या पहले	20 अंक
	08 मिनट के बाद 10 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	

नोट 9 : माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के द्वारा याचिका W.P.(S)960/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम— झारखण्ड राज्य में दिनांक 23/07/2018 को पारित आदेश, W.P.(S)3040/2020 में दिनांक 19/01/2021 को पारित आदेश एवं W.P.(S)2302/2020 में दिनांक 23/11/2020 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन सम्बंधी विभागीय अधिसूचना संख्या—4998, दिनांक 19/09/2019 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिए Weightage प्रदान की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश से उदभूत एवं प्रभावित /अच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित सम्पुष्टी के उपरान्त, 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01 (एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।

**नोट 10 : मेधा सूची**—लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

**नोट 11 : चिकित्सा परीक्षण** :— नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदण्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति किया जायेगा।

**नोट 12 : परिवीक्षा** :— चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

**नोट 13 : वेतनमान** — चौकीदार का षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान —पी0बी0—। 5200—20200, ग्रेड वेतन 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान Schedule-1 के Pay Matrix Levle-1, 18000-56900 के मूल वेतनमान 18000.00 तथा समय— समय पर देय अन्य भत्ता ।

**नोट 14 : आवेदन करने की प्रक्रिया**

- उपरोक्त योग्यता सह अहर्ता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात यथा— शैक्षणिक अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से सम्बंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र (न्यायादेश से अच्छादित अभ्यर्थियों के लिये) के साथ स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करते हुये दिनांक 30/09/2022 तक जिला सामान्य शाखा, उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 30/09/2022 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- आवेदन को बन्द लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है।
- अन्य विवरणी जिला के अधिकृत बेबसाईट Jamshedpur.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है।
- परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित/पिछड़ा/अन्य पिछड़ा वर्ग— 200/— एवं अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति—100/— रू0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पद नाम से भुगतये होगा संलग्न करना अनिवार्य है।
- परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी।
- आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता निम्न है :—प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर पिन नं0—831001

ह0/—

जिला दण्डाधिकारी —सह— उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।